

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5-28/2023/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 16/05/2025

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

एवं वन बल प्रमुख

छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.005 हे. वन भूमि का वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:-** 1. विभागीय पत्र क्रमांक एफ 5-28/2023/10-2, दिनांक 19.12.2023।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध(ए)/115-880/214, दिनांक 23.01.2024 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-880/770, दिनांक 15.03.2024।

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत सामान्य अनुमोदन के तहत राज्य शासन स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।

2/- उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित कर राज्य शासन स्तर से औपचारिक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

3/- अतः राज्य शासन के संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा जारी उपरोक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तों के पालन करने की शर्त पर राज्य शासन एतद् द्वारा अंतिम चरण स्वीकृति प्रदान करता है। शर्त क्र. 2 (अ), 2(ब) जो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की भूमि के अधिसूचना से संबंधित है का विशेष ध्यान देकर पालन किया जाये।

4/- राज्य शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 में अधिरोपित उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 का उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी। राज्य शासन की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 2

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-28/2023/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/05/2025

प्रतिलिपि :-

- 1.वनमहानिदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 2.वनमहानिरीक्षक (वन्यप्राणीखण्ड), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली - 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 3.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर उनके पत्र क्रमांक FC-8/18/2024-IRO-RAIPUR/89, दिनांक 08.07.2024 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 4.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
 - 5.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
 - 6.मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर छत्तीसगढ़।
 - 7.मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
 - 8.निदेशक, कांग्रेस घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
 - 9.वनमंडलाधिकारी, बस्तर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 - 10.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

02